न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 23 / 2020

एस.ए.आजाद ,निवासी एच. 16 / 854 बुद्ध बाजार,संगम विहार नई दिल्ली ।

बनाम

प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 11.03.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि श्रीमति एस.ए.आजाद ,निवासी एच. 16 / 854 बुद्ध बाजार,संगम विहार नई दिल्ली ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 04.11.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 109 दिनांक 13.02.2020 से प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्रांक 1090 दिनां 24.02.2020 से जबाब प्राप्तं हुआ, जो संलग्न पत्रावली है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से वांछित सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार पहाड़ी से संबंधित होने से प्रार्थी का आवेदन कार्यालय पत्रांक 10330 दिनांक 18. 11.2019 के द्वारा तहसीलदार पहाड़ी भरतपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अंतरित कर दिया गया है । प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा अपने पत्रांक 10330 दिनांक 18.11.2019 से तहसीलदार पहाड़ी को यह भी निर्देशित किया गया है कि वांछित सूचनाऐं प्रार्थी को सीधे ही उपलब्ध कराते हुए पालना से उन्हें भी सूचित किया जावे , किन्तु सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने सम्बन्धी रिपोर्ट न तो प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को भेजी गई है और न इस कार्यालय को प्रेषित की गई है । जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पहाड़ी ने अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई

गई हैं, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

तहसीलदार पहाड़ी को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क अविलम्ब उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार पहाड़ी को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.03.19 14:58:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: